

राजस्थानराज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड/राज्य सरकार के अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन पत्र


1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम/पूर्ण पता :
3. जन्मतिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूलविभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूलवेतन (रनिंग पे बैण्डवेतन ग्रेड पे/ पे—मैट्रिकलेवल सं.) (एलपीसीसंलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद कावेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष काप्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

प्रार्थी राजस्थान राज्य कृषि विपणनबोर्ड, जयपुर/राज्य सरकार एवं अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए बोर्ड के सेवा उप नियम IV के उप नियम 21 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात बोर्ड में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। प्रार्थी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर :
दिनांक :

सेवानिवृत्तअधिकारी/कर्मचारी
केहस्ताक्षर


एस. एस. राठौड़
उप सचिव

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और बोर्ड में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे/पे मैट्रिक लेवल सं.) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

एस. एस. राठौड़
उप सचिव

